कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक / 860 / प्राटोकॉल / 2018 टीकमगढ़, दिनांक 27 / 03 / 2018

/ / निविदा आमंत्रण सूचना / /

वर्ष 2018–19 हेतु टीकमगढ़ जिले में राज्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण के दौरान समय–समय भ्रमण / सुरक्षा व्यवस्था हेतु किराये पर महिन्द्रा **(xuv)**, इनोवा, टवेरा, जाइलो, स्कार्पियो, टाटा सफारी, बुलेरो, हेतु प्रतिदिन किराये की दरें प्राप्त करने के आशय से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदायें दिनांक 02 / 04 / 2018 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 17.04.2018 को दोपहर 3.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, एवं निविदायें दिनांक 17 / 04 / 2018 को 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र www. tikamgarh.nic.in से Download किया जा सकता है।

कलेक्टर
जिला–टीकमगढ़

Scanned by CamScanner

निविदा प्रपत्र

कार्यालय में निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि 02/04/2018 प्रातः11.00 बजे से दिनांक 17/04/2018 को सायं 03.00 बजे तक (निविदा खोलने की तिथि 17/04/2018 सांय 04.00बजे कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ़)

1. आवेदक का नाम – ....
2. फम/ऐजेन्सी का नाम एवं पता – ....
3. दूरभाष नम्बर /मोबाईल नं0 – ....
4. निविदाकार फर्म/ऐजेन्सी का पंजीयन कमांक एवं दिनांक – .... व उस कार्यालय का नाम जहां उसका बैधानिक पंजीयन हैं।

क.	वाहन चार्जेज	महिन्द्रा (xuv)	इनोवा	टाटा सफारी	जाइलो	स्कार्पियो	टवेरा	इंडिगो (डीजल)	बोलेरो (नॉन ए.सी.) डीजल रहित
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रू0/कि0मी0								
2.	10 घंटे के लिये अथवा 100 कि0मी0								
3.	05 घंटे के लिये अथवा 50 कि0मी0								
4.	डे डिटेशन (रु./घण्टा)								

1. निविदाकार के कारोबार में वार्षिक चलित राशि का विवरण – – ....
2. निविदाकार द्वारा फम/ऐजेन्सी का आज दिनांक तक भुगतान शासन को पूर्ण कर दिया है। यदि हां तो कर की अदेयता का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

18. क्या किसी विधिक सक्षम न्यायालय में एजेन्सी निविदाकार के विरूद्ध कोई दावा या वाद लंवित है । यदि हां तो पूर्ण विवरण दें। – ....
19. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि के बैंक ड्राफ्ट विवरण – ....
20. कार्य में अनुबंध हेतु निविदाकार द्वारा प्रस्तावित रू0 (अंकों में/शब्दों में) – ....

दिनांक–..........................
स्थान– ....

हस्ताक्षर आवेदक

नाम/सील..........................

Scanned by CamScanner

वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी हेतु सामान्य शर्तें

1. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी म0प्र0 के किसी भी जिले में परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बगैर पंजीयन के निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
2. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी का कम से कम दो वर्ष का शासकीय कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
3. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी का एक वर्ष में 10.00 लाख का टर्न ओवर होना एवं नियमानुसार सेवाकर/आयकर भुगतान किया जाना आवश्यक है, टर्न ओवर एवं सेवाकर/आयकर की प्रति संलग्न करें।
4. बगैर टैक्सी परमिट वाहन मान्य नहीं किये जायेंगे।
5. वाहन प्रदाता को वाहन से संबंधित, बीमा, फिटनेस,परमिट, रजिस्ट्रेशन, ड्राईवर का वैद्य लाइसेंस (कमर्शियल/हैवी) इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी उसके लिये पूर्ण जिम्मेदार होगी।
6. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र (निविदा दर) का बंद लिफाफा एवं फर्म के चाहे गये अन्य दस्तावेज का लिफाफे के अंदर पृथक से संलग्न करना होगा। निविदा खोलने पर निविदा की दर कम होने पर फर्म के दस्तावेज का परीक्षण किया जावेगा।
7. वाहन का माडल वर्श 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
8. वाहन पर नियुक्त ड्राईवर का वेतन, वाहन का मेंटीनेंस, कॉमर्शियल परमिट आदि का व्यय वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी को स्वयं वहन करना होगा, एवं भुगतान की गई राशि पर भाासन के नियमानुसार सर्विस टेक्स, आयकर जमा कर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
9. वाहन में हुई किसी तकनीकी खरबी के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने में बाधा आती है, तो वाहन प्रदाता को अन्य वाहन की व्यवस्था तत्काल करना होगी।
10. वाहन के उपयोग में न्यून्तम दूरी का कोई वंधन नहीं रहेगा। यदि वाहन का उपयोग 10 घंटे या 100 कि.मी. की दूरी तय नहीं करता है। तो आधे दिवस का किराया देय होगा। यदि वाहन 10 घंटे से अधिक उपयोग में लाया जाता है, और 100 कि.मी. की दूरी तय नहीं करता है, तो डे–डिटेशन (रु./घण्टा) के मान से एवं 100 कि.मी. से अधिक दूरी तय करता है, तो रु./कि0मी0 के मान से या शासन के निर्देशों द्वारा किराया दिया जावेगा।
11. मार्ग में वाहन खराव होने की स्थिति में वाहन के खराव होने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा।
12. जिले में अतिथि के भ्रमण के दौरान उपलब्ध कराये जाने बाले वाहनों की स्थिति व रख रखाव उत्तम श्रेणी का हो एवं अतिथि की श्रेणी अनुसार बत्ती एवं फ्लैग सहित प्रदान करना होगे।
13. जिले में मान्नीय अतिथि के प्रवास के दौरान भ्रमण/सुरक्षा व्यवस्था हेतु वाहन कार्यालय द्वारा मॉग की जाने पर वाहन तत्काल उपलब्ध कराया जाना होगा। विलम्ब की दशा में होने बाली परेशानी में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. जिले में मान्नीय अतिथि के प्रवास के दौरान भ्रमण हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन की लॉग–बुक पर संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संबंधित विभाग प्रमुख प्रमुख से मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण कराना होगा।
15. प्रत्येक माह के बिल उसके अगले माह के सात दिवस के अंदर प्रस्तुत न करने पर बिलों (देयकों)के भुगतान की कार्यवाही कार्यालयीन बजट(आवंटन) के अनुसार की जावेगी, आवंटन उपलब्ध न होने पर बिलों के भुगतान में होने बाले विलंब के लिये कार्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में न्यायालय में चुनौती मान्य नहीं होगी।
16. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार कलेक्टर टीकमगढ़ को होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
17. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी का कार्यालय टीकमगढ़ मुख्यालय पर स्थित होना अनिवार्य है।
18. वाहन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर इसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरुप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है जो उसकी सम्पूर्ण जवावदारी वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी की होगी।
19. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय सुरक्षा निधि के रुप में राशि रुपये 25000/–(पच्चीस ा रहजार रुपये) की कलेक्टर टीकमगढ़ के नाम से एफ0डी0 निविदा के लिफाफे के ऊपर संलग्न करना होगी, जो अनुबंध समाप्ति पश्चात् नजारत शाखा टीकमगढ़ वाहन प्रदाता को वापिस योग्य होगी।
20. वाहन प्रदाता फर्म/ट्रेवलिंग ऐजेन्सी द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाये जाने पर स्वयं जिम्मेवार होंगे। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही ही मान्य की जावेगी।
21. वाहन को किराये पर प्रदाय करने के आदेश इस कार्यालय से जारी होने के वाद प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर वाहन प्रदाता को 100/– रुपये के स्टाम्प पर उक्त शर्तें लिखित में नोटरी कराकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा की भार्तो के अलावा पृथक से कोई भार्त मान्य नहीं की जावेगी।
22. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार इस निविदा पर किया गया अनुबंध दिनांक 31मार्च 2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा आगामी निविदा दर स्वीकृत होने तक स्वीकृत दरों पर ही वाहन उपलब्ध कराना होगा।

प्रोपराईटर के हस्ताक्षर/फर्म की मुहर

प्रोपराईटर का नाम ....

प्रोपराईटर का स्थाई पता..

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक / 359 / प्राटोकॉल / 2018 टीकमगढ़, दिनांक 27 / 03 / 2018

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क कार्यालय
बाणगंगा, भोपाल (म0प्र0)

विषयः समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित किये जाने बावत्।

——00——

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि वर्ष 2018–19 हेतु टीकमगढ़ जिले में राज्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर उनके प्रवास के दौरान समय–समय पर भ्रमण एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये वाहन किराये से लिया जाना है। प्रकाशन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना,प्रपत्र संलग्न है।

अतः स्थानीय स्तर के तीन समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन कराये जाने तथा समाचार पत्रों की एक–एक प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः निविदा आमंत्रण सूचना,प्रपत्र

कलेक्टर
जिलाटीकमगढ़

पृ0क्रमांक /359 / प्रोटोकॉल / 2018 टीकमगढ़, दिनांक 27 / 03 / 2018

प्रतिलिपिः–

डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला टीकमगढ़

Scanned by CamScanner